

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

पटना, दिनांक 16/02/2026

विषय- समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में प्राप्त राशि रु० 24,79,000/- (चौबीस लाख उनासी हजार) मात्र एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि रु० 16,52,667/- (सोलह लाख बावन हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र अर्थात् कुल 41,31,667/- (इकतालीस लाख इकतीस हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के लिए केन्द्रांश मद में प्राप्त तृतीय किस्त की राशि रु० 41,31,667/- (इकतालीस लाख इकतीस हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किस्त में केन्द्रांश मद में प्राप्त राशि रु० 24,79,000/- (चौबीस लाख उनासी हजार) मात्र एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि रु० 16,52,667/- (सोलह लाख बावन हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र अर्थात् कुल 41,31,667/- (इकतालीस लाख इकतीस हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

3 (I) समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अंतर्गत Teacher Education केन्द्रांश मद में कुल 24,79,000/- (चौबीस लाख उनासी हजार) रुपये मात्र के व्यय का विकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(क) केन्द्रांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 19,24,000/- (उनिस लाख चौबीस हजार) मात्र रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष-200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0203-अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड-21-2202042000203, PFMS Code-3667 के विषय शीर्ष-0203.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपलब्ध राशि के अन्तर्गत होगा।

(ख) केन्द्रांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 5,09,000/- (पाँच लाख नौ हजार) मात्र रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-04 प्रौढ़ शिक्षा लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जाति के लिए विशेष योजना उपशीर्ष-0202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड-21-2202-04-789-0202 के विषय शीर्ष 0202-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंधित राशि के अंतर्गत होगा।

(ग) केन्द्रांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 46,000/- (छियालीस हजार) मात्र रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-04 प्रौढ़ शिक्षा लघु शीर्ष-796 जन जाति क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष-0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड-21-2202-04-796-0203 के विषय शीर्ष-0203-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि के अंतर्गत होगा।

(II) समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत Teacher Education के लिए राज्यांश मद में 16,52,667/- (सोलह लाख बावन हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र राशि के व्यय का विकलन:-

(क) राज्यांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 12,82,667/- (बारह लाख बिरासी हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष-200 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0303-अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड-21-2202042000303 PFMS Code-3667 के विषय शीर्ष-0303-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत किया जायेगा।

(ख) राज्यांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 3,39,333/- (तीन लाख उनचालीस हजार तीन सौ तैतीस) रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा उप शीर्ष-04, प्रौढ़ शीर्ष लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड़-21-2202-04-789-0302 के विषय शीर्ष-0302-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबधित राशि के अंतर्गत होगा।

(ग) राज्यांश मद की कुल स्वीकृत राशि में से 30,667/- (तीस हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय की मॉग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा उप शीर्ष-04 प्रौढ़ शिक्षा लघु शीर्ष-796 जन जाति क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष-0302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा) विपत्र कोड़-21-2202-04-796-0302 के विषय शीर्ष-0302.3106 सहायक अनुदान गैर वेतन मद के उपबधित राशि के अंतर्गत होगा।

4. स्वीकृत राशि निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् महेन्द्र, पटना के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् महेन्द्र, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड़-2011 के नियम 270 के अनुसार बी०टी०सी० फॉर्म 42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर पटना समारहनालय, पटना कोषागार से किया जायेगा तथा निम्नलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृत राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संबंधित खाते में CFMS Mode द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्रांश की राशि

Sl. No.	Budget Code	Subject head	Central Sare (In Rs)	A.C. Name	Account No.	IFSC	Bank Name Branch Name
GC-01	21-2202042000203	0203.31.06	1924000.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
SC-02	21-2202047890202	0202.31.06	509000.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
ST-03	21-2202047960203	0203.31.06	46000.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
Total			2479000.00				

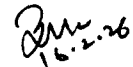
राज्यांश की राशि

Sl. No.	Budget Code	Subject head	State Sare (In Rs)	A.C. Name	Account No.	IFSC	Bank Name Branch Name
GC-01	21-2202042000303	0303.31.06	1282667.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
SC-02	21-2202047890302	0302.31.06	339333.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
ST-03	21-22027960302	0302.31.06	30667.00	BEPC-Samagrea-Shiksha - Bihar	40385607280	SBIN0000153	SBI. Patna Sachiwalay
Total			1652667.00				

20

5. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र (बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पुनरीक्षित) में निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार एवं शिक्षा विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 7134 दिनांक 30.08.2019 में एवं समय समय पर वित्त विभाग एवं विभागीय अनुदेश द्वारा इस संबंध में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी।
7. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प-12888 दिनांक 03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 20/वि०-08/2021 के पृष्ठ 340/टि० पर प्राप्त है।
10. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
11. राशि के निकासी की स्वीकृति पर माननीय मंत्रों का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

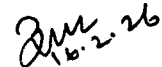


(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/वि०-08/2021 355 पटना, दिनांक 16/02/2026

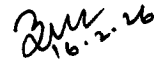
प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/वि०-08/2021 355 पटना, दिनांक 16/02/2026

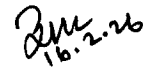
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/वि०-08/2021 355 पटना, दिनांक 16/02/2026

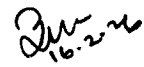
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार पटना/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक (योजना शाखा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-20 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/वि०-08/2021 355 पटना, दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।